<u>न्यायालय-अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,अंजड जिला बडवानी</u> समक्ष-श्रीमती वंदना राज पांडेय

<u>आपराधिक प्रकरण क्रमांक 316/2016</u> संस्थित दिनांक— 27.05.2016

मध्य प्रदेश राज्य द्वारा— आरक्षी केन्द्र—ठीकरी, जिला बडवानी म.प्र.

.....अभियोजन

वि रू द्व

- बबन पिता शोभाराम सिसोदिया, उम्र 28 वर्ष, निवासी चिचली, थाना बलकवाडा
- भगवानसिंह पिता शोभाराम सिसोदिया उम्र 30 वर्ष, निवासी चिचली, थाना बलकवाडा
- लाड्कीबाई पित शोभाराम सिसोदिया, उम्र 50 वर्ष, निवासी चिचली, थाना बलकवाडा

.....अभियुक्तगण

अभियोजन द्वारा	– श्री अकरम मंसूरी ए.डी.पी.ओ.।
अभियुक्तगण द्वारा	– श्री एल.के. जैन अधिवक्ता ।

—: <u>निर्णय</u>:— (आज दिनांक 06/03/2017 को घोषित)

01— अभियुक्तों के विरूद्ध पुलिस थाना ठीकरी के अपराध कमांक 87/2016 के आधार पर दिनांक 21.04.15 से 13.03.16 के दौरान लगभग 12:00 से 8:00 बजे के मध्य गांधी चौक ठीकरी में फरियादियां श्रीमती सुनीता सिसौदिया के पित एवं पित के नातेदार होते हुए अपना सामान्य आशय बनाकर फरियादियां सुनीता से एल.ई.डी. फीज एवं सोने की चेन की दहेज की मांग कर, शारीरिक एवं मानसिक रूप से कूरता कर प्रताड़ित करने और उससे दहेज के रूप में एल.ई.डी टीवी, फीज एवं सोने की चेन की अवैध रूप से मांग करने के संबंध में भा.द.वि. की धारा 498—ए/34 तथा दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 3/4 के अंतर्गत अपराध विचारणीय है।

02— प्रकरण में यह स्वीकृत तथ्य है कि फरियादिया श्रीमती सुनीता का विवाह वर्ष 2014 में आरोपी बबन से हुआ था तथा शेष आरोपीगण, आरोपी बबन के रिश्तेदार है। यह तथ्य भी स्वीकृत है कि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया था। यह तथ्य भी स्वीकृत है कि फरियादियां द्वारा आरोपीगण से राजीनामा किये जाने के आधार पर आरोपीगण को भा.द.वि. की धारा 323 के अपराध से दोषमुक्त किया गया।

03— अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 15.03.16 को श्रीमती सुनीता ने आरोपीगण के विरूद्ध थाना बलकवाडा में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज

कराई कि उसका विवाह आरोपी बबन निवासी चिचली के साथ सामाजिक जाति रीतिरिवाज से दिनांक 21.04.15 को पिपल्या बुजुर्ग जिला खरगोन में हुआ था। वह अपने पति बबन और शेष आरोपीगण के साथ ग्राम चिचली में रही थी। उसके पिता ने शादी में डबल बेट, गौदरेज, आलमारी, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट, कुलर, मिक्सर मशीन, एक लोहे का पलंग एवं बर्तन आदि दिये थे। आरोपीगण उसे दहेज में एल. ई.डी.टीवी, फ्रीज, सोने की चेन नहीं लाने की बात पर शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे है। उसने अपने माता-पिता को यह बात बताई थी, लेकिन उसके माता-पिता ने उसे समझाकर ससुराल में रहने के लिये कहा। दिनांक 13. 03.16 को सुबह 8:00 बजे उसके पति बबन ने उसे कहा कि वह उसे रखना नहीं चाहता है तथा उसे हाथ-मुक्कों से मारपीट कर गला दबा दिया था तथा अकेली छोड़कर कही चले गये थे। दुर्घटना उसने अपने माता-पिता को बताई और थाने पर रिपोर्ट करने आई। फरियादियां की उक्त रिपोर्ट के आधार पर थाना ठीकरी में अपराध क. 87 / 16 दर्ज कर फरियादियां और साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये गये. घटना स्थल का नक्शा मौका बनाया गया। फरियादियां का मेडिकल परीक्षण कराया गया, आरोपीगण को गिरफ्तार कर, फरियादिया के पेश करने पर विवाह की पत्रिका एवं छाया चित्र जप्त कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

04— अभियोग—पत्र के आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्व धारा 498—ए/34, 323 भा.द.वि. तथा दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 3/4 के अंतर्गत आरोप पत्र निर्मित कर अभियुक्तों को पढ़कर सुनाए एवं समझाए जाने पर अभियुक्तों ने अपराध अस्वीकार किया है, धारा 313 दं.प्र.सं. के परीक्षण में अभियुक्तगण ने स्वयं का निर्दोष होना व्यक्त किया है।

05- प्रकरण में निम्न प्रश्न विचारणीय है कि -

06-

क्र.	विचारणीय प्रश्न
1	क्या आरोपीगण ने दि. 21.04.15 से 13.03.16 के दौरान ग्राम चिचली थाना ठीकरी में फरियादियां के पित और पित के नातेदार होते हुए सामान्य आशय बनाकर फरियादिया को दहेज में एल.ई.डी.टीवी, फ्रीज, सोने की चेन आदि नहीं लाने के कारण उसे मारपीट कर शारीरिक, मानसिक रूप से प्रताडित कर उसके प्रति कूरता कारित की ?
2	क्या आरोपीगण ने उक्त दिनांक, समय एवं स्थान पर फरियादियां से दहेज में एल.ई.डी.टीवी, फ्रीज, सोने की चेन की मांग अवैध रूप से की?
3	निष्कर्ष एवं दण्डादेश ?

साक्ष्य विवेचन एवं निष्कर्ष के आधार

विचारणीय प्रश्न कमांक 1,2,3 का निराकरण :-

उपरोक्त तीनों विचारणीय प्रश्न एक-दूसरे से संबंधित होकर साक्ष्य

के दोहराव को रोकने के लिए तथा सुविधा की दृष्टि से इनका निराकरण एक—साथ किया जा रहा है।

07— उक्त विचारणी प्रश्नों के संबंध में श्रीमती सुनीता (अ.सा.1) का कथन है कि उसका अपने पति और सस्राल वालों से मनम्टाव हो गया था और उनके विचार नहीं मिल रहे थे इस कारण वह अपने मायके चली गई तथा थाना ठीकरी में आरोपीगण के विरूद्ध प्रदर्श पी 1 की रिपोर्ट दर्ज कराई थी जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उसे गिरने के कारण चोट आई थी, इसलिये पुलिस ने उसका मेडिकल परीक्षण कराया था। साक्षी ने नकशा मौका प्रदर्श पी 2 और जप्ती पंचनामा प्रदर्श पी 3 पर अपने हस्ताक्षर होना बताया है। उक्त साक्षी को अभियोजन की ओर से पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इस सूझाव से इंकार किया है कि उसने प्रदर्श पी 1 की रिपोर्ट में आरोपीगण द्वारा दहेज की मांग को लेकर मारपीट और प्रताडित करने की बात बातई थी। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि आरोपीगण शादी के बाद से ही उसे शारीरिक, मानसिक रूप से प्रताडित करते थे। साक्षी ने प्रदर्श पी 1 की रिपोर्ट में और पृलिस कथन में भी उक्त बाते बताने से स्पष्ट इंकार किया है। साक्षी ने स्वीकार कया है कि उसने आरोपीगण से राजीनामा कर लिया है और उनके विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं चाहती है, लेकिन इस सुझाव से इंकार किया है कि राजीनामा होने के कारण वह असत्य कथन कर रही है

08— सुरेन्द्र कनेश (अ.सा.2) का कथन है कि उसने दिनांक 15.03.16 को थाना ठीकरी के अपराध क. 87/16 की विवेचना के दौरान नक्शा मौका प्रदर्श पी 1 बनाने, फरियादी और साक्षीगण के कथन लेखबद्ध करने, फरियादी से शादी की पित्रका, फोटोग्राफ्स जप्त करने और आरोपीगण को गिरफ्तर करने के संबंध में कथन किया है। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि उसे फरियादी और साक्षीगण ने कोई कथन नहीं दिये थे अथवा उसने असत्य विवेचना की है अथवा वह असत्य कथन कर रहा है।

09— आरोपीगण से राजीनामा होने के कारण किसी अन्य साक्षी का परीक्षण अभियोजन की ओर से नहीं कराया गया है। ऐसी स्थिति में जबकि प्रकरण की फरियादिया ने आरोपीगण से राजीनामा कर और उनके विरुद्ध कोई कथन नहीं किया गया तो यह प्रमाणित नहीं होता है कि कि आरोपीगण ने पर फरियादियां को दहेज में एल.ई.डी.टीवी, फीज, सोने की चेन आदि नहीं लाने के कारण शारीरिक, मानसिक रूप से प्रताडित किया अथवा उसे दहेज के रूप में उक्त वस्तुओं की मांग की थी। ऐसी स्थिति में आरोपीगण के भा.द.वि. की धारा 498—ए/34 एवं दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 3/4 का अपराध प्रमाणित नहीं होता है।

10— अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अभियोजन अपना मामला अभियुक्तों के विरूद्ध संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है। अतः यह न्यायालय आरोपी बबन पिता शोभाराम सिसोदिया, उम्र 28 वर्ष, निवासी चिचली, थाना बलकवाडा, भगवानसिंह पिता

शोभाराम सिसोदिया उम्र 30 वर्ष, निवासी चिचली, थाना बलकवाड़ा, लाड़कीबाई पित शोभाराम सिसोदिया, उम्र 50 वर्ष, निवासी चिचली, थाना बलकवाड़ा को भा.द. वि. की धारा 498-ए सहपिठत धारा 34 एवं दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 3/4 के अपराध से संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त घोषित करता है।

11- अभियुक्तों के जमानत-मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं ।

12— अभियुक्तगण के द.प्र.सं. की धारा—428 के अंतर्गत निरोध की अवधि के प्रमाण—पत्र बनाये जाए ।

13. प्रकरण में जप्तशुदा सम्पत्ति एक विवाह पत्रिका, एक विवाह फोटोग्राफस मूल्यहीन होने से बाद अपील अवधि अपील नहीं होने पर नियमानुसार नष्ट की जाए, अपील होने पर माननीय अपील न्यायालय के निर्देशानुसार कार्यवाही की जाए।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित एवं हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया ।

मेरे उद्बोधन पर टंकित ।

-सही-

(श्रीमती वन्दना राज पाण्ड्रेय) अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अंजड़ जिला—बड़वानी, म.प्र. -सही-

(श्रीमती वन्दना राज पाण्ड्य) अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अंजड़, जिला–बड़वानी, म.प्र.